19/06/17 पत्रावली लोक अदालत / कोर्ट केस अटल सेवा केन्द्र पादेड़ी पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण तथा अधिवक्ता विपक्षीगण दोनों अनुपस्थित। उपस्थित प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रकरण को निपटाने हेतु समझाईश की गई, लेकिन उपस्थित उभय पक्षकारों के मध्य कोई समझौता / राजीनामा नहीं होने से मामले को निपटाया नहीं जा सका।

उपस्थित प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अनुसार मौजा पादेड़ी की वादग्रस्त कृषि भूमि हाल आराजी नं.- 2034/0.07, 2035/0.04 एवं 2036/0.06 कुल किता 3 रकबा 0.1700 हैक्टे. भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर उनके पिता स्वर्गीय श्री मगला पिता रूपा डांगी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर उनके स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 28/01/06 से प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण के अनुसार उक्त भूमि पर पूर्व में प्रार्थीगण के पिता काबिज थे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं जबकि विपक्षीगण का तर्क है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण का उनके पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा सेटलमेंट के पूर्व उक्त कृषि भूमि विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी लेकिन गत भू प्रबन्ध के दौरान भूप्रबन्ध विभाग की गलती से प्रार्थीगण के पिता ...

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

प्रार्थी: श्री खेमा वगै. विपक्षी: श्री धूला वगै.

किस्म मुकदमा: प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्या: 06 सन्: 2016

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई, जिसका प्रार्थीगण नाजायज फायदा उठा रहे है। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुये प्रति-प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज करने का तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं विपक्षीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है लेकिन विपक्षीगण द्वारा अपने प्रति प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो कि उनके प्रति प्रार्थना पत्र में वर्णित दावों को सिद्ध कर सके। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के प्रति प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों/दावों से न्यायालय प्रकरण के इस प्रक्रम पर सहमत नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड के आधार पर उक्त प्रकरणग्रस्त कृषि भूमि पर अपना कब्जा होना बता रहे है लेकिन उन्होंने (प्रार्थीगण) भी अपने निर्विवाद कब्जे को साबित करने हेतु कोई ठोस एवं प्रमाणिक दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरणग्रस्त उक्त कृषि अराजी भूमि पर	

Scanned by CamScanner

कब्जा वादपत्र में शहादत-सबूत से ही सिद्ध होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर चूंकि दोनों ही पक्ष अपने-अपने प्रार्थना पत्र तथा प्रति प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में दिनांक 30/05/2016 को प्रार्थीगण के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरुद्ध जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रभावहीन घोषित किया जाता है तथा उपस्थित प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को (अर्थात उभय पक्षकारों को) मूल वाद के निस्तारण तक मौजा पादड़ी की विवादग्रस्त आराजी नम्बर 2034/0.07, 2035/0.04 एवं 2036/0.06 कुल किता 3 रकबा 0.1700 हैक्टे. भूमि की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा मजमे आम लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र पादड़ी पर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ण प्रविष्टि नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

19/06/17

(सहायक कलेक्टर एवं
उपखंड अधिकारी ऋषभदेव
कैम्प - पादड़ी)

Scanned by CamScanner